UPBG010030872026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या-01, बागपत।

उपस्थित : पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे०ओ०कोड नं०- यू० पी० 6104

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 1034/2026

कन्हैया पुत्र विजय सिंह, निवासी ग्राम पाली, थाना बागपत, जनपद बागपत।

.....अभियुक्त।

बनाम

राज्य

.....अभियोजक।

दिनांकः 04.06.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **कन्हैया** की ओर से मु०अ०सं० 336/2026, अन्तर्गत धारा 281, 109(1), 132, 121(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बागपत, जनपद बागपत में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **शपथपत्र राजेश चौहान** इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अपराध में झूठा एंव रजिशान फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार बागपत में निरुद्ध है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 24.05.2026 को समय करीब 10:20 बजे की जो कथित घटना दिखायी गयी है वह बिलकुल गलत है ऐसी कोई घटना प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गयी है। कथित घटना दिनांक 24.05.2026 समय करीब 10:20 बजे की दिखायी गयी है रिपोर्ट दिनांक 25.05.2026 को समय 13:10 बजे देरी से की गयी है जबकि पुलिस स्वयं रिपोर्टकर्ता है और कथित घटना बिलकुल थाना के पास की है। देरी का कोई कारण नहीं दिया गया है। घटना दिनांक 24.05.2026 को समय करीब 10:00 बजे प्रार्थी/अभियुक्त सहारनपुर से आ रहा था वन्दना चौक बागपत पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा व थाना बागपत के पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी के कागजात दिखाने को कहा गया प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सभी कागजात ट्रेफिक पुलिस व थाना बागपत के पुलिस कर्मचारियों को दिखाये गये इसके बाद पुलिस द्वारा बताया गया गया कि तुम्हारी गाड़ी पर 19 चालान हैं। हम गाडी जब्त कर लेंगे तब प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कहा गया कि सर कोर्ट का नोटिस आयेगा मैं चालान भुगत लूँगा आप मेरी गाड़ी को बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास सभी कागजात हैं जिस पर पुलिस द्वारा कुछ पैसों की मांग की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मना करने पर गाड़ी सीज करने की धमकी दी। इसी रंजिश की बिनाह पर पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का दिनांक 24.05.2026 को अं० धारा 170, 126, 135 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर एस०डी०एम०, बागपत के यहां चालान पेश किया। गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। शाम को प्रार्थी/अभियुक्त एस०डी०एम०, बागपत के न्यायालय से करीब 5 बजे जमानत हुई। अगले दिन दिनांक 25.05.2026 को झूठी कहानी बनाकर प्रार्थी /अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उस रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 25.05.2026 को पुनः गिरफ्तार कर लिया, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.06.04 16:36:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया। दिनांक 24.05.2026 समय करीब 10:20 बजे की जो कथित घटना अपनी रिपोर्ट में दिखायी गयी है कि "गाडी को मेरे ऊपर चढाते जान से मारने की नीयत से खेकडा की ओर तेजी से मोड़ने लगा" इस घटना का कोई पब्लिक का गवाह नहीं दिया है तथा गाड़ी चढाने से रिपोर्टकर्ता को कोई चोट तो लगी होगी वह नीचे गिरा होगा ऐसा कोई साक्ष्य मेडिकल आदि नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अवर न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था, जो कि अवर न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अभियुक्त की ओर से माननीय न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, उसकी ओर से जमानत के पश्चात फरार होने या अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का अन्देशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत के पश्चात माननीय न्यायालय में प्रत्येक नियत दिनांक पर हाजिर होता रहेगा और माननीय न्यायालय का केस निस्तारण मे पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त मान्य न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जमानत देने के लिए तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हे० का० TP 778 हरेन्द्र सिंह ने थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय के साथ दी कि "... प्रार्थी यातायात पुलिस जनपद बागपत मे मुख्य आरक्षी 778 C.P.TP के पद पर तैनात है। कल दिनांक 24.05.2026 का समय लगभग 10:20 A.M. बजे पर प्रार्थी महिला थाना बाईपास कट पर TSI राजीव कुमार व का0 TP 5 दीपक कुमार के साथ यातायात व प्रवर्तन कि कार्यवाही मे उच्चाधिकारियों व राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे यातायात अभियानों से सम्बन्धित चैंकिग कर रहे थे कि उसी समय महिला थाना कि ओर से Brown colour कि बन्द बडी गाडी सं०-UP16HT6007 हमारी ओर आई। जिस को सड़क किनारे रुकवाकर उसके चालान चैक किए तो गाडी पर 19 चालान पेंडिंग थे। चालक को नीचे उतरवाकर उससे कई बार गाड़ी के कागजात दिखाने का निवेदन किया गया, परंतु उक्त चालक स्वयं को लोकल गाँव पाली का रहने वाला बताता रहा, किंतु कागजात नहीं दिखाए। तदुपरात पेंडिंग चालानों व कागजातों के अभाव में मौके पर मौजूद TSI राजीव कुमार द्वारा गाडी को सीज करते हुए मुझे उक्त गाड़ी को यातायात मालखाना पुलिस लाईन बागपत ले जाने को कहा गया। जैसे ही मैं गाडी में बैठने को हुआ तो चालक ने तेजी से स्वयं सीट ग्रहण की और गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ाते जान से मारने कि नीयत से खेखड़ा की ओर तेजी से मोड़ने लगा। तब मैंने स्वयं की जान बचाते हुए तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी की कंडेक्टर खिड़की पर लटक कर ऊपर चढने का प्रयास किया। परंतु चालक ने गाड़ी न रोककर तेजी से खेकडा की ओर चल दिया व रास्ते में तेजी से कई गाडियों से रगड़ने का प्रयास किया। आते-जाते राहगीर भी चालक को गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाकर कहते रहे। परंतु उक्त चालक निर्दयतापूर्वक वाहन को तेजी से, चलाता रहा और मुझे खिड़की पर लटका होने के बावजूद पता होने पर भी रास्ते मे आ-जा रहे वाहनों से रगड़ने का प्रयास करता रहा और मेरे साथ ड्यूटीरत Tsi राजीव व दीपक को पीछा करते देख गाडी को पाली गाँव में सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। उक्त चालक द्वारा इस कृत्य से मुझे जान का भय बना रहा और कार्य सरकार में बाधा डाली गयी है। चालक के इस कृत्य से सड़क से गुजरने वाले व्यक्तियों में भय व्याप्त हो गया था। श्रीमान् जी उक्त घटना की सूचना देने थाना आया हूँ। उक्त चालक कन्हैया पुत्र वियज सिंह नि० ग्राम पाली जनपद बागपत वर्तमान पता- ग्राम बरोला थाना सैक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर मो0 न 0-9990252032 के विरुद्ध उचित धाराओं मे अभियोग पंजीकृत करने कि कृपा करें। ..."

5- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने पुलिसकर्मी/वादी पर कोई हमला गाड़ी से नहीं किया है और न ही किसी सरकारी कार्य में बाधा डाली गयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

6- अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

7- प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

8- पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पर प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसके द्वारा अपने वाहन को लोकमार्ग पर लापरवाहीपूर्वक चलाकर वादी मुकदमा हरेन्द्र सिंह को जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया तथा वादी मुकदमा/लोक सेवक द्वारा की जा रही यातायात सम्बन्धी चैकिंग में सहयोग न करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली गयी। कथित घटना में वादी मुकदमा या अन्य किसी को कोई चोट आना नहीं कहा गया है। अभियोजन की ओर से कथित घटना के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 25.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध होना बताया गया है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास की आख्या में प्रार्थी/अभियुक्त का किसी अन्य मामले में आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, न्यायालय का मत है कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **कन्हैया** की ओर से मु०अ०सं० 336/2026, अन्तर्गत धारा 281, 109(1), 132, 121(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना बागपत, जनपद बागपत में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **अंकन 50,000/- (पचास हजार) रुपये** का निजी मुचलका व इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित अण्डटेकिंग सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टिनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किया जायेः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश की अनुपालना में जमानत बन्धपत्र अन्दर 15 दिवस सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करे।

दिनांकः 04.06.2026

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या-01, बागपत।